अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/225 रामनिवास बनाम हेमन्त शेखर वगै०

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2023/149 श्री जी.एस. जालवाल श्री एम.पी. औझा	

रामनिवास बनाम हेमन्त शेखर वगैरह (2020/149)

28.6.23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है। अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि पत्रावली आज स्थगन सुनवाई हेतु पेश की गई है चुंकि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है तथा अपील अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है इसलिए शेष रेस्पोडेन्टस की तलबी आवश्यकता नहीं है और अपील पर बहस सुनी जावें। अभिभाषकगण के निवेदन पर अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश अपील रिजर्व रखी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11.7.23 पत्रावली वास्ते आदेश अपील प्रस्तुत हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपील पर दिनांक 28.06.2023 को बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने अपने में निहित पदीय एवं न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए आदेश दिनांक 04.04.2023 पारित करते हुए अवैधानिका कारित की है तथा खसरा नम्बर 1843/1845 व 1847/1845 कृषि भूमि नहीं है बल्कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरिम भूमि है तथा इस भूमि बाबत् एक तरफा तौर आदेश पारित करतें हुए अपीलार्थी को भूमि के निहित प्रयोजन से रोकने व पाबंद करने की कोई अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने भूमि वर्ष 2022 में क्रय की है तथा बिना विधिपूर्ण तथ्य दर्शित करते हुए भूमि की सीमाओं का पहले से कभी कोई विवाद रहा हो, वर्तमान में प्रत्यर्थी की भूमि की सीमा के अन्दर निर्माण हो रहा है तथा इस बाबत् कोई पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान करवाये बिना सीमा बाबत् दखल बाबत कोई विधिपूर्ण सबूत प्रस्तुत नहीं किया, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी जो अपनी क्रयशुदा भूमि का विधिपूर्ण स्वामी है उसे भूमि के विधिपूर्ण उपयोग उपभोग से वंचित किया है, जो अवैधानिक है। अपीलार्थी ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के कारण उत्पन्न हुई परेशानी तथा पुलिस थाना, नसीराबाद द्वारा परेशान किए जाने के तथ्यों को दर्शित करते हुए शीघ्र सुनवाई किये जाने हेतु एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय में दिनांक 20.04.2023 को प्रस्तुत किया तथा आदेश 39 नियम 4 जा.दी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया परन्तु प्रकरण को ना तो सुनवाई हेतु नियत किया, न ही कोई अनुतोष अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद से प्राप्त होने की अपेक्षा है इस कारण इन समस्त तथ्यों के रहते, विधिक प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा खरीदी गई भूमि लम्बी पट्टी के रूप में है, जिसके दक्षिण में अपीलांट के तीन खसरा नम्बरों की भूमि अड़वॉ है, ये खसरा नम्बर 1849/1845, 1946/1845 तथा 1848/1845 है। उक्त खरीदशुदा भूमि के दक्षिणी ओर से अपीलांट की भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था इसलिए प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2023 को विधि सम्मत आदेश पारित है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

तमीर ....

अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

149/2023/2258 ..... vs ......

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम, हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/149	
पेशी	श्री ..... श्री	

तथा वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखी जाने व प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने के आदेश पारित किये है जो विधि सम्मत है। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है, खारिज की जावें। माननीय न्यायालय चाहे तो दोनो पक्षों को अपनी–अपनी भूमि की सीमा से 5–5 फीट की दूरी तक निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक अपीलांट ने रिबटल में बताया कि हम अभिभााषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि दोनो पक्ष अपनी–अपनी भूमि की सीमा से 5–5फीट की दूरी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने से पाबंद कर दिया जावें तथा अपील को इसी निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है उभय पक्षकारान के मध्य भूमियों की सीमा सम्बन्धित विवाद है तथा दोनो पक्ष अपनी–अपनी भूमि की सीमा से 5–5फीट दूरी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने पर सहमत हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को किया जाना है इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि अपीलांट, प्रत्यर्थीगण के खसरा नम्बरान खाता संख्या 169 नया 167 पुराना के खसरा नम्बर 1846/1845 रकबा 0.0111है0, खसरा नम्बर 1847/1845 रकबा 0.0289 है0, खसरा नम्बर 1848/1845 रकबा 0.0146 है0, खसरा नम्बर 1849/1845 रकबा 0.5469 है0 व प्रत्यर्थीगण अपीलांट के खाता संख्या 177 नया 175 पुराना के खसरा नम्बर 443 का भाग रकबा 0.31है. में कोई दखल अंदाजी, कब्जा काश्त, निर्माण का प्रयास न करें। विचारण न्यायालय में प्रकरण के निस्तारण तक उभयपक्षों को अपनी–अपनी भूमि की सीमा से 5–5 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण न करने लिए पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट, प्रत्यर्थीगण के खसरा नम्बरान खाता संख्या 169 नया 167 पुराना के खसरा नम्बर 1846/1845 रकबा 0.0111है0, खसरा नम्बर 1847/1845 रकबा 0.0289 है0, खसरा नम्बर 1848/1845 रकबा 0.0146 है0, खसरा नम्बर 1849/1845 रकबा 0.5469 है0 व प्रत्यर्थीगण अपीलांट के खाता संख्या 177 नया 175 पुराना के खसरा नम्बर 443 का भाग रकबा 0.31है. में कोई दखल अंदाजी, कब्जा काश्त, निर्माण का प्रयास न करें। विचारण न्यायालय में प्रकरण के निस्तारण तक उभयपक्षों को अपनी–अपनी भूमि की सीमा से 5–5 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण न करने लिए पाबंद किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर